नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 55/2012

1– श्रीमति उगमी पत्नि श्री अमरा जी नाई
2– श्री रामप्रसाद पुत्र श्री अमरा जी नाई
3– श्री कैलाश पुत्र श्री अमरा जी नाई
4– श्री गजराज पुत्र श्री अमरा जी नाई
5– श्री हेमराज पुत्र श्री अमरा जी नाई
सभी जाति नाई निवासी ग्राम बेगलियावास तहसील मसूदा जिला–अजमेर

———प्रार्थीगण

ब ना म

1– श्री ईश्वर पुत्र श्री सोलाल रेबारी
2– श्री श्रवण पुत्र श्री पूसा रेबारी
3– श्री अमान पुत्र श्री थाना जी रेबारी
4– श्री सुवालाल पुत्र श्री बालू जी तालोड जाट
5– श्री नारायण पुत्र श्री रामलाल जी तालोड जाट
सभी निवासी ग्राम बेगलियावास तहसील मसूदा जिला–अजमेर
6– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय विजयनगर तहसील विजयनगर जिला–अजमेर

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 22.11.2017

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सांराक्षत निवेदन किया है, कि मौजा बेगलियावास तहसील मसूदा जिला–अजमेर में स्थित खसरा नंबर 1419 रकबा 02–05–00 की भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियां जिसमें सदियो से पूर्वजो के समय से प्रार्थीगण शांतिपूर्ण तरीके से मालिक काबिज है एंव काश्त करते चले आ रहे है। जिसमें कभी किसी प्रकार कोई विवाद नही रहा है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नही है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत रखते है। किन्तु अप्रार्थीगण खसरा नंबर 1420 के लगते हुये रास्ता होने के बावजूद प्रार्थीगण की खातेदारी में से पक्की सिढीयां बनाकर अतिक्रमण करना चाहते है। इस बदनियती से दिनांक 25.6.2012 को अप्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर लेकर आये और प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की भूमि पर नायाज कब्जा करने की बदनियती से सिढीया निर्माण करने की कोशिश की जिस पर प्रार्थीगण ने उन्हे कामयाब नही होने दिया। उक्त आशय का एक वाद प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रखा है। तथा उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टया मजबूती से बनता है, एंव सहुलियत का संतुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि विवादित भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे तथा विवादित भूमि को कोई निमाण आदि नही करे तथा प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने के आदेश पारीत करने की कृपा करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया अप्रार्थीगण को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण से उनके जवाब प्रार्थना पत्र का हक बन्द किया जाकर प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया वाद अवलोकन वादीगण ने अपने मूल वाद धारा 88, 188 का अनुतोष चाहते हुये वाद प्रस्तुत किया जाना पाया गया। तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में विवादित भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना पाया गया। एंव अप्रार्थीगण द्धारा प्रस्तुत दस्तावेज में खसरा नंबर 1420 राज्य सरकार के नाम किस्म दांती होना दर्ज पाया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू बनना पाया जाता है, परन्तु यह वाद घोषणात्मक धाराओं में भी प्रस्तुत किया गया है जो कि मूल वाद के गुणावगुण पर निस्तारण पश्चात् ही तय किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दोनो पक्षो को पाबंद किया जाता है, कि ताफैसला मूल वाद तक विवादित भूमि मौजा बेगलियावास में स्थित खसरा नंबर 1419 पर मौके एंव राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 22/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 15:58:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: